

GOVT. OF BIHAR
NATIONAL EXCISE & PROHIBITION DEPT.
TINA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2211



STAMP DUTY

00000

Rs. 0000100

374148

INDIA

**Zero*Zero*Zero*Zero*One*Zero*Zero*

BIHAR

BIHAR

7380 9742738



"प्ररूप 26"

(नियम 4क देखिए)

SURESH PRASAD
NOTARY, PATNA

ATTESTED

Sureti Prasad

NOTARY, PATNA

31-याटलियुत्रा

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश नंदन **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अवधीश नंदन
सिंह आयु 37 वर्ष, जो ग्राम - सिपारा ; पोस्ट - देलवाँ ; थाना - बंजर
जिला - पटना - 20 (डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश नंदन (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(* *जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम बॉन्सीपुर ; बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 182 के क्रम सं 102 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. मो-7870563281 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) lungesh

Sipara@gmail.com है।



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

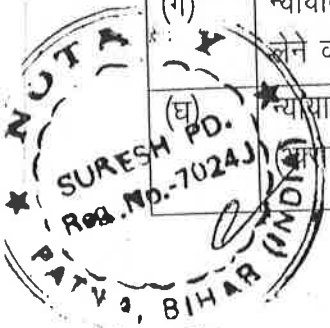
क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	ADZPN7163M	2013-14	₹ 2 लाख (लगभग)
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान देने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता



(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च.)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

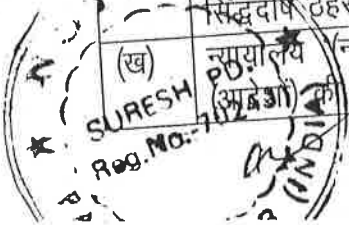
(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता



(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	21000/-	₹ 11000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	A/c NO 30412987450 रकम - 18000/- (लगभग) तिथि - 8/3/2014 SBI, SIPARA A/c NO 33140102563 रकम - 500/- SBI, SIPARA जमा तिथि 21/03/2014	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों के ब्यौरे और	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

SURESH
R. NO. 24J1

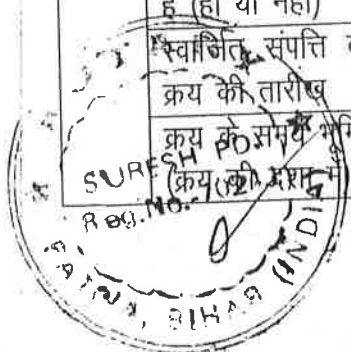
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	₹ 7500/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटरयान Reg No BR-61BJ4016 क्रय वर्ष-2012 लागत-5.5 लाख (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	जेन, अंगुदी (लोना) भार-15 ग्राम (लगभग) मूल्य-45 हजार (लगभग)	जेवरात (लोना/मोती) भार-40 ग्राम (लगभग) मूल्य-1 लाख 20 हजार (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 6,42,000/- (लगभग)	₹ 1,31,000/- (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	600 (है.सं.)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.11 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	23.03.2013	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समर्थन भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 401000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 5 लाख (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	278 (दो सौ अठ्ठत्तर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	700 (सात सौ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	700 (सातरा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हैं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 20 लाख (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI) पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 25 लाख (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बेवतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जेल आपूर्ति से बरतने वाले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOT
SURESH P
Reg. No. 7324J
11/10/17

	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... अधिवक्ता

(ख) प्रति या पत्नी..... गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

LLB, कीर्तीज ऑनर्स कॉलेज, पटना ; मगध विश्वविद्यालय

वर्ष - 2010.

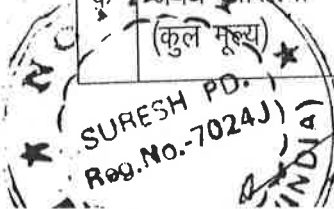
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



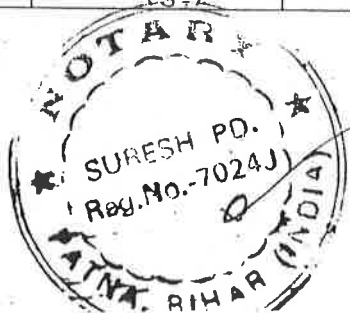
भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं दुर्गाश नंदन सिंह दुर्गाश नंदन उर्फ				
2	डाक का पता	ग्राम-सिपारा; पो-देलवा; थाना-बैजूर जिला- पटना- 20.				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	31- पाटलिपुत्रा; बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं होता				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	लागू नहीं होता				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं होता				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	ADZPN7163A	2013-14	₹ 2 लाख (लगभग)		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
कुं	कुल आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 642000/- (लगभग)	₹ 1.31000/- (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य



ख	स्थावर आस्तियां	₹ 2500000/- (लागू नहीं है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 401000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ 2500000/- (लागू नहीं है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	(क) ₹ 500000/- (लागू नहीं है) (ख) ₹ 2000000/- (लागू नहीं है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है लागू नहीं है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....910-7870563281

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....lungeshniparra@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....नहीं

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।



लोक सभा निर्वाचन, 2014

अभ्यर्थी के Separate Bank Account के संबंध में विवरणी

अभ्यर्थी का नाम

: दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश नंदन

अभ्यर्थी का पता

: पिता - श्री अवधेश नंदन सिंह; ग्राम - सिप
पोस्ट - देलवाँ; थाना - बेऊर; जिला - पट

अभ्यर्थी या अभ्यर्थी और उसके निर्वाचक : 21/03/2014
अभिकर्ता के संयुक्त नाम से बैंक में Separate
Bank Account खोलने की तिथि

बैंक का नाम (जिसमें Separate Bank Account : SBI (भारतीय स्टेट बैंक)
खोला गया है)

बैंक शाखा का नाम (जिसमें Separate Bank : सिपरा
Account खोला गया है)

खाता संख्या (Separate Bank Account) : 33740102563

बैंक का आई0एफ0सी0 कोड (जिसमें Separate : SBIN0010353
Bank Account खोला गया है)

खाता की प्रकृति (Savings/current) : SAVINGS

दुर्गेश नंदन सिंह
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नोट :-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार :-

1. नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम-से-कम एक दिन पूर्व Separate Bank Account खोलना है।
2. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचक अभिकर्ता के नाम से ही बैंक में संयुक्त खाता खोलना है।
3. अभ्यर्थी अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त खाता नहीं खोल सकते हैं। यदि वह निर्वाचक अभिकर्ता नहीं है।
4. Separate Bank Account विवरणी नहीं देने पर यह माना जायेगा कि आपके द्वारा अभ्यर्थी व्यय विवरणी विहित रूप में संधारित नहीं किया जा रहा है।

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)

संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

" मैं दुर्गेश नन्दन सिंह उर्फ दुर्गेश नन्दन जो लोक सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं * ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की सम्प्रभूता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।"

दुर्गेश नन्दन सिंह
दुर्गेश नन्दन सिंह उर्फ दुर्गेश नन्दन
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती दुर्गेश नन्दन सिंह उर्फ दुर्गेश नन्दन
आज दिनांक 24 माह 03 2014 को निवाची पद पर ने उत्तर
(स्थान) पूर 1.35 बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य
निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

नम्रप्रिय
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और महर।

निवाची पदाधिकारी,
31-पाटलिपुत्रा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र